

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर (राज0)

-: कार्यालय आदेश :-

संस्था/विद्यालय राजाधानी पब्लिक स्कूल

स्थान बानसूर को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं

अनुदान नियम एवं क्रमोन्नति नियम तहत 1993 एवं तत्पश्चात् किए गये संशोधन के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्र 2008-09 से उच्च प्राथमिक स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता प्रदान की जाती है ।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाए जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर

क्रमांक :- जिशिअ/प्राशि/अल0/संस्था-2/फा-मान्यता /2008-09/ 39

दिनांक:- 31-3-08

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, गुप-5, सचिवालय, जयपुर ।
- 2- आयुक्त महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ।
- 3- शिक्षा उप निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर ।
- ✓ 4- व्यवस्थापक संस्था राजाधानी पब्लिक स्कूल, बानसूर
- 5- कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर

Principal
Rajdhani Public School
Bansur (Alwar) Rajasthan

Chairman
Rajdhani Public School
Bansur (Alwar) Rajasthan